FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

भारतसिंह बनाम श्रीमती दाफा कँवर वगै0

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र वाजदायरी मुकदमा नम्बरः–113/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
08.10.2018	प्रार्थी वकील श्री रघुनाथसिंह शेखावत एड. ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाजदायरी का पेश किया। प्रार्थना पत्र वाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 31.10.2018 को पेश हो।	
31-10-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19-12-18 को पेश हो।	
19-12-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-1-19 को पेश हो।	
16-1-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-1-19 को पेश हो।	
22.01.2019	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी न. 2 ता 4 की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील असालतन/वकालतन हाजिर अदालत नहीं आयें है। अतः अप्रार्थी नम्बर 2 ता 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी नं. 1 की	दावा पुलिस/ग्राम्य पर लिये जाँच में कोई ऐतराज नहीं है। 22.01.19

Scanned by CamScanner

भारत सिंह बनाम श्रीमति दाफा कँवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	प्रार्थना पत्र मु० नं० – 1/3/18	

ओर से श्री गोविन्द नारायण तँवर एड. ने वकालतनामा पेश कर दावें को पुनः नम्बर पर लिये जाने में उन्हें कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराया। वकील अप्रार्थी की अनापत्ति पर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में पेश दावा उनवानी भारतसिंह बनाम् दाफा कॅवर वगै0 वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 340/2012 पूर्व में दिनांक 24.08.2016 को वादी प्रार्थी के अत्यन्त वृद्ध होने व बीमार होने की वजह से वकील वादी के हाजिर अदालत नहीं होने पर प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया गया है। उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने हेतु वाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2018 को मय दफा 5 मियाद अधिनियम के सहित प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रकरण में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र वाजदायरी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाकर मूल दावा उनवानी भारतसिंह बनाम् दाफा कॅवर वगै0 वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा, मुकदमा नम्बर 340/2012 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा प्रार्थी/पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वे सुनवाई हेतु दिनांक 07.02.2019 को न्यायालय में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रहमलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner